



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश  
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)  
लिंक रोड नंबर 3, माधवराव सप्रे मार्ग, भोपाल- 462003



**:—विज्ञापन:—**

विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा./सेल-1/2022/5407

भोपाल, दिनांक: 23/08/2022

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ( शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम) हेतु म.प्र. राज्य के मूल निवासियों से संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक के 18 पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

उपरोक्त संविदा पदों हेतु किये जाने वाले सेवा अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता/वाछनीय शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
	संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक	18	14,000 / - रुपये प्रतिमाह	बी.एस.सी. फूड एवं न्यूट्रिशियन या बी.एस.सी. क्लीनिकल न्यूट्रिशियन एवं डायटेटिक्स या बी.एस.सी. होम साइन्स (फूड एवं न्यूट्रिशियन ) <b>—:अनुभव:—</b> न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव (शासकीय/ अशासकीय संस्था में न्यूट्रिशियन कार्य का अनुभव)	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2022 की स्थिति में

आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल [www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 18/08/2022 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 19/09/2022 है। ऑफ लाईन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेग

2 पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:—

पद का नाम	संविदा स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	नि:शक्त जनों के लिए			
							व्ही. एच. एच.	एच. एच. एच.	ओ. एच. एच.	एम. डी.
संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक	18	6	1	3	3	5	-	-	1	-

- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नि:शक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का दिव्यांगजन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयंमैव निरस्त माने जायेंगे।
- अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश